

२६/२/१८

पञ्जाबली पेशुई। बार-बार आज्ञा दिलवाई गई,
परन्तु गावों की तरफ से पैरवी डेलू कोई अपारकीत
नहीं है और का समय समाप्त होने को है।
गावों की अदम टाजरी एवं अदम पैरवी में गावों
२७५ में का स्वीकृत किया गया। पञ्जाबली फंसल
शुमार होकर डॉ. नम्बर से कम है। आदेश खुले
न्यायालय में सुनाया गया।